भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

राजस्व न्यायालय

नामांतरण अपील वाद संख्या–02/2019–20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
28.09.2021	अभिलेख उपस्थापित किया गया आवेदक/अपीलार्थी सलीम मंसूरी, पिता–मो0 हनीफ मंसूरी, निवासी–जामा मस्जिद रोड, वार्ड नं0–10(पुराना) 06(नया), पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम ने अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या–1085/R27/2018–19, दिनांक–11.02.2019 में पारित आदेश के विरूद्ध Appeal u/s 15 of the Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Act 1973 के अंतर्गत नामांतरण अपील वाद दायर करने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी के आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय द्वारा दिनांक–27.05.2019 को नामांतरण अपील वाद संख्या–02/2019–20 प्रारंभ की गई है, जिसमें मो0 खलील मंसूरी, पिता–स्व0 मो0 हनीफ मंसूरी, निवासी–जामा मस्जिद रोड, वार्ड नं0–10(पुराना) 06(नया), चक्रधरपुर, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया गया है। **भूमि का विवरण** मौजा: चक्रधरपुर नगरपालिका, वार्ड नं0–10 | थाना सं0: 68 | खाता सं0: 52 | खेसरा सं0: 27 | रकवा: 904 वर्गकड़ी बहस के दौरान उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को बताया गया कि प्रस्तावित भूमि का बंटवारा उनके पिता द्वारा तीनों भाईयों के बीच आपसी समझौता से पूर्व में ही लिखित रूप से किया गया था। इस आधार पर सभी भाई उक्त भूमि के अपने–अपने हिस्से के हिस्सेदार हैं। प्रतिवादी मो0 खलील मंसूरी, पिता–स्व0 मो0 हनीफ मंसूरी, निवासी–जामा मस्जिद रोड, वार्ड नं0–10(पुराना) 06(नया), चक्रधरपुर, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम चोरी–छुपे शपथ पत्र संख्या–56, दिनांक–05.01.2019 में अन्य अंशदारों का फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कर शपथ पत्र के आधार पर अंचल कार्यालय, चक्रधरपुर से आवेदक/अपीलार्थी सलीम मंसूरी, पिता–मो0 हनीफ मंसूरी, निवासी–जामा मस्जिद रोड, वार्ड नं0–10(पुराना) 06(नया), पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम के हिस्से में मिले भाग का नामांतरण प्रतिवादी द्वारा अपने नाम से करा लिया गया है। आवेदक/अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित भूमि का दाखिल–खारिज शपथ पत्र में फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर अपने नाम से कराया गया है साथ ही राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवादी द्वारा समर्पित शपथ पत्र के आलोक में अपीलार्थी एवं अन्य हिस्सेदार को नोटिस जारी कर नामांतरण के संबंध में राय जाने बिना ही उक्त भूमि का	

Scanned with OKEN Scanner

नामांतरण प्रतिवादी के पक्ष में किया गया है। अतएव अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा वादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का विरोध करते हुए बताया गया कि प्रस्तावित भूमि के सभी अंशदारों के आपसी सहमति के आधार पर उक्त भूमि का नामांतरण प्रतिवादी ने उनके हिस्से में मिले भाग का ही नामांतरण अपने नाम से कराया है। शपथ पत्र में सभी अंशदार का हस्ताक्षर है जो सही है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लगाया गया आरोप की शपथ पत्र में अन्य हिस्सेदार का हस्ताक्षर फर्जी है, जो निराधार है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित भूकि के अपने हिस्से के भाग का ही अपने नाम से नामांतरण कराया है। प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या–1085/R27/2018–19, दिनांक–11.02.2019 में पारित स्वीकृति आदेश को यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र में दर्ज हस्ताक्षर से न्यायालय में उपस्थित अपीलार्थी के हस्ताक्षर से मिलान करने का अनुरोध किया गया। अतएव न्यायालय द्वारा शपथ पत्र में अंकित हस्ताक्षर से अपीलार्थी के हस्ताक्षर का मिलान करने पर पाया गया कि शपथ पत्र में अंकित हस्ताक्षर से अपीलार्थी सलीम मंसूरी का हस्ताक्षर मिलान (Match) नहीं हो रहा है। (ANNEXURE-I) अभिलेख के साथ संलग्न है। एक अन्य हिस्सेदार उस्मान मंसूरी जो अस्वस्थ रहने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाए थे उनसे Video Conferencing के माध्यम से बात करने पर उनके द्वारा बताया गया कि शपथ पत्र संख्या–56, दिनांक–05.01.2019 पर उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है। शपथ पत्र पर किया गया उनका हस्ताक्षर फर्जी तरीके से किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के सुनने एवं सम्यक रूप से विचारोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रतिवादी द्वारा समर्पित शपथ पत्र जिसके आधार पर प्रस्तावित भूमि का नामांतरण अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में किया गया है। शपथ पत्र हस्ताक्षर फर्जी तरीके से किया गया प्रतीत होता है।

अतएव अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या–1085/R27/2018–19, दिनांक–11.02.2019 में पारित स्वीकृति आदेश को **खारिज** किया जाता है।

अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे पंजी–II एवं अन्य संबंधित राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति उभय पक्ष एवं निम्न न्यायालय को भी उपलब्ध करावें।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

Digitally signed by KUSHALMY KINETH MUNDU
Date: 2025.06.06 16:56:20 +05:30
Location: 10.93.69.133

Scanned with OKEN Scanner